न्यायालय– एकादश्, अपर सत्र न्यायाधीश
सारण, छपरा।
ए.बी.पी.न0–725 / 2026
अवतार नगर थाना कांड सं0–264 / 2025

छोटे सरकार बनाम् बिहार राज्य

13.03.2026 आवेदक अभियुक्त छोटे सरकार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–725/2026, अवतार नगर थाना कांड संख्या 264/2025, अंतर्गत धारा 126(2),118(1),109,351(2),352,3(5) भा0न्या0सं0 में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री गुड्डू कुमार सिंह एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री जितेन्द्र कुमार सिंह को सुना।

अभियोजन के अनुसार अभियुक्त पर आरोप संक्षेप में इस प्रकार है कि घटनातिथि को सूचक अपने घर के पूर्व सत्येन्द्र सिह के दुकान पर बैठा था कि उसी समय दुकान में बैठने के विवाद को लेकर कन्हैया सिंह, कुंजल कुमार सिंह, छोटे सरकार, सुनील सिंह एकमत होकर गाली–गलौज करते हुए आये तथा मारपीट करने लगे। मारपीट के क्रम में छोटे सरकार ने जान मारने के नियत से दाब से हमला किया तो सूचक का सिर फट गया तथा खून बहने लगा।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए कहा गया कि आवेदक की ओर से एबीपी 3832/2025 दाखिल किया गया था जो खारिज हो चुका है। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष कि0मि0 नं0 76137/2025 दाखिल किया गया था वह भी खारिज हो चुका है। अन्य कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक के विरूद्ध तीन प्राथमिकी संस्थित है। आवेदक पर लगाये गये आरोप झूंठा है। आवेदक निर्दोष हैं दुर्भावना के कारण झूंठा फंसाया गया है। आवेदक के विरूद्ध कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। आवेदक का नाम प्राथमिकी में दर्ज है और जांच के बाद इस मामले के जांच अधिकारी ने आवेदक के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया क्योंकि आवेदक का नाम मामले में शामिल नहीं था। आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने के बाद न्यायालय ने दिनांक 27.01.2026 को आवेदक और अन्य के विरूद्ध संज्ञान लिया है। संज्ञान के बाद आवेदक की यह पहली उपस्थिति है। धारा 109 भा0न्या0सं0 को छोड़कर सभी धाराएं जमानतीय हैं और धारा 109 भा0न्या0सं0 आवेदक के विरूद्ध लागू नहीं होती है। आवेदक न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्त को पालन करने के लिए तैयार है। अंत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि आवेदक द्वारा कारित अपराध काफी गंभीर प्रकृति का है। इसलिए आवेदक का जमानत आवेदन खारिज किया जाये।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी अवतार नगर थाना कांड संख्या 264/2025, अंतर्गत धारा 126(2),118(1),109,351(2),352,3(5) भा0न्या0सं0 में पंजीकृत कराई गई है। कंडिका–43 में वादी का पुनः बयान है जिसमें वादी ने घटना का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। कांड दैनिकी के कंडिका–6,7,44 में साक्षियों का साक्ष्य है जिसमें साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। कंडिका–21

में आवेदकगण के आपराधिक इतिहास के संदर्भ में अंकित है जिसके अनुसार आवेदक तीन प्राथमिकी संस्थित है। कांड दैनिकी के साथ जख्म प्रतिवेदन संलग्न है जिसमें चिकित्सक द्वारा जख्म को गंभीर प्रकृति का पाया गया है। आवेदक पर ही दाब से प्रहार कर गंभीर रूप से जख्मी करने का आरोप है। आवेदक का पूर्व में इस न्यायालय द्वारा और माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा भी अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया गया है। आवेदक द्वारा कारित अपराधिक व उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदक अभियुक्त छोटे सरकार द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 18.02.2026 को उपरोक्त के आलोक में खारिज किया जाता है।

लेखापित

एकादश, अपर सत्र न्यायाधीश
सारण, छपरा।